न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/230/2003/भरतपुर

1– महेन्द्र सिंह)
2– अमरसिंह) पुत्रान दूण्डा, जाति फौजदार, निवासी–
3– मानसिंह) गिरसे,तहसील डीग, जिला भरतपुर।
4– रामवीर)
5– चन्दर)

....अपीलार्थीगण

बनाम

1– हब्बूसिंह पुत्र जंगली, जाति जाट
2– मु0 चन्द्रवती पत्नि देवीराम, जाति फौजदार
3– देवीराम पुत्र साधू, जाति फौजदार
सभी निवासी ग्राम गिरसे तहसील डीग, जिला भरतपुर।
4– तहसीलदार, डीग।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री वी0श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य

––

उपस्थितः–
श्री खड़क सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 व 3 की ओर से।

––

निर्णय

दिनांकः24–10–18

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील सं0 38/2000 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 08–11–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी, डीग के न्यायालय में अधिनियम की धारा 88,89 व 188 का विवादित आराजी बाबत् विरूद्ध प्रतिवादी पेश किया। बाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी, डीग ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2000 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर राजस्व अपील

प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई, जिसे उन्होंने आंशिक तौर पर स्वीकार कर वादीगण को साबिक खसरा नं0 753 से बने हाल खसरा नं0 963/18 एयर पर खातेदार काश्तकार घोषित किया तथा प्रत्यर्थी सं0 1 के नाम हो रहे इन्द्राज कलमजन करने के आदेश दिए, खसरा नं0 970/22 एयर में से 0.04 एयर और 971/0.11 में से 0.02 एयर का अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया एवं प्रत्यर्थी के नाम खसरा नं0 970 में से 4 एयर और 971 में से 2 एयर रकबा कलमजन करने के आदेश प्रदान किए। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया कि खसरा नं0 970 रकबा 0.22 एयर व 971 रकबा 0.11 एयर साबिक खसरा नं0 743 की 41 एयर भूमि जो कि अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि थी, से बना है व हाल बंदोबस्त में विवादित खसरा नं0 970 व 971 को अपीलार्थीगण के पिता श्री टुण्डा के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था किन्तु गलत तौर पर खसरा मिलान क्षैत्रफल बनाकर उक्त खसरा नंबर को साबिक खसरा नं0 743 की भूमि से बना हुआ व गलत तौर पर प्रत्यर्थी सं0 2 के नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रत्यर्थी का खसरा नं0 970 व 971 की सम्पूर्ण भूमि से कोई संबंध नहीं है व न ही इन खसरा नंबर पर प्रत्यर्थी सं0 2 का कोई कब्जा है किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण को खसरा नं0 970 में 4 एयर व 971 में 2 एयर का खातेदार ही घोषित करने में भारी भूल की है जबकि अपीलार्थीगण समस्त खसरा नं0 970 की 22 एयर व 971 की 11 एयर के खातेदार घोषित किए जाने चाहिए थे। उनका तर्क था कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार खसरा नं0 970 व 971 जो कि गत खसरा नं0 743 से बने है उसे गलत तौर पर खसरा नं0 746 की भूमि से मिलान क्षैत्रफल में बनना बताया है, जिसे स्वंय राजस्व अपील प्राधिकारी ने स्वीकार किया है, इसके बावजूद समस्त वाद डिक्री नहीं करने में उन्होंने भारी भूल की है। उन्होंने निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के विपरीत है, अतः द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय व डिक्रीं आंशिक तौर पर खसरा नं0 970 की 18 एयर व 971 की 9 एयर भूमि की हद तक निरस्त किया जावें व उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2000 को निरस्त किया जावे व वादी को खसरा नं0 970 की 22 एयर व 971 की 11 एयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें उनके द्वारा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति का विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है, ऐसी स्थिति में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः द्वितीय अपील निरस्त की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– वर्तमान द्वितीय अपील में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या भू प्रबंध के समय अपीलार्थीगण की भूमि प्रत्यर्थी सं0 2 व 3 के खाते में गलत रूप से दर्ज कर दी गई है। राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का परीक्षण करने के पश्चात् यह निष्कर्ष अंकित किया है कि प्रत्यर्थी सं0 2 चन्द्रवती की खातेदारी में जो भूमि अंकित की गई है, उसमें 6 एयर रकबा अधिक है और यह रकबा अपीलार्थी की भूमि का है। यह विवाद केवल राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों के आधार पर ही तय किया जाना था और राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण में प्रस्तुत समस्त अभिलेख के आधार पर जो निष्कर्ष अंकित किया है, वह पूर्णतया उचित है। हम अधिवक्ता अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि उन्हें खसरा नं0 970 की 22 एयर व 971 की 11 एयर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे, क्योंकि यह तथ्य राजस्व अभिलेख से प्रमाणित नहीं होता कि प्रत्यर्थी सं0 2 के नाम जो भूमि वर्तमान अभिलेख में अंकित की गई है, वह उसकी पूर्व में खातेदारी में अंकित भूमि से इस मात्रा में अधिक है। हमारी सुविचारित राय में राजस्व अपील प्राधिकारी ने तथ्यों एवं अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें हम द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते है।

8– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
सदस्य

(वी0श्रीनिवास)
अध्यक्ष